

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-२

कायोलय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(वे०) /

२४३३-५४८/ मान्यता / 2015-16 दिनांक १९ मई, 2015

सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक / अध्यक्ष,
द अल्टस, इन्टरनेशनल स्कूल, रामपुर,
सहसपुर, देहरादून।

विषय :-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय द अल्टस, इन्टरनेशनल स्कूल, रामपुर, सहसपुर, देहरादून को प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 05 वर्षों दिनांक 07.05.2015 से 06.05.2020 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी -

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्ष-४ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-१ में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा। परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण ग्राम्यस्थिति के लिए नियम ५ के लिए जाएगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-३ पर वर्णित बच्चों के मुमल में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 को उपचारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जान वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे -
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय संनिधि किया जाएगा।
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दह नहीं दिया जाएगा तथा मानामक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
(तीन) किसी भी बच्चे का प्रारम्भिक दह नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की बास वरने की आवश्यकता नहीं होगी।
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों द्वारा नियम ३५ के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण एवं प्रदान किया जाएगा।
(पाँच) आधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निश्चय विशेष ज्ञानस्थिति के बास वरने की आवश्यकता नहीं होगी।
(छह) शिक्षकों का नियुक्ति अधिनियम २३ की आलोक तथा उनके लिए नियमान्तर अनुनतम यान्यता के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। परन्तु यह एवं आधिनियम के अन्य हानि के समय बच्चों में छायेरत वैसे सभी शिक्षकों जो नियमान्तर अनुनतम योग्यता नहीं करते हैं वे ५ वर्षों के अन्दर नियमान्तर अनुनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
(सात) आधिनियम की धारा 24 की उपकारा (1) तथा नियमावली के नियम ३१ में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निवेदन करेंगे। पारं।
(आठ) शिक्षक नियम रखने पर किसी भी प्रकार की शिक्षक गतिविधि (ट्रयोग्य) में सलग नहीं होंगे।
8. विद्यालय सभा सहकार द्वारा नियमान्तर योग्यताएँ एवं प्रारम्भिक कार्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा १० के प्रारम्भिक दो आलोक में सफलत्व सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों को नामांकन करना।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा ११ के अनुसार दो आलोक में वर्षारार रखेगा। विद्यालय के अनियम भरोसण
• विद्यालय अनुसार दो आलोक
• वर्षारार रखेगा।

Vandana Nagor
Chairman
The Altus International School
Rampur, Dehradun

Hrushikesh Nagor
Principal
रामपुर (सहसपुर) देहरादून
The Altus International School
Rampur, Dehradun

- खेल के मैदान का क्षेत्र;
 - कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;
 - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;
 - बालक तथा वालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;
 - पेयजल की सुविधा;
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
 - बाधारहित पहुँच;
 - शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल-कूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन / संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत नियन्त्रित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानूने के तहत गठित किसी पक्षिक द्रष्टव्य के माध्यम से गंतव्याप्ति होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवेदित मान्यता कोड संख्या 13 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार / मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
21. अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता पाँच वर्ष के लिए प्रदान की गयी है उक्त अवधि समाप्त होने से पाँच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय / संस्था द्वारा करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय / संस्था का होगा।
- नोट :-** वर्ष-2015 में ₹10,00,000 प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

विद्यालय
(एस० पी० खाली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ० स० / शिविर(मा०) / 15 का 28/33-30 / मान्यता / 2014-15 तदिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, देहरादून।
5. सम्बन्धित स्कूल शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर०टी०इ० मियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय प्रशासन के अन्तर्गत हैं। अतः जिलाधिकारी एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय का संचालन करना चाहिए। साथ ही नवाचालित विद्यालय संस्था पर युग्म सुविधा विकास करना। कर पत्रावली में सुरक्षित स्कूल आवश्यकता पड़ना पर रखना। आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली विद्यालयों का सतत नियोजन करना।

Chairman
The Altus International School
Rampur, Dehradun
Sandana Nagas

(एस० पी० खाली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

Priyadarshini
The Altus International School
Rampur, Dehradun

कार्यालय— मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे०) / 15—क / १८६६-११ / नवीनीकरण / 2019-20 / दिनांक १० जून, 2020

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक शिविर(बे०) / 15—क / 2833-38 / मान्यता / 2015-16 दिनांक 19.05.2015 द्वारा द अल्टस इन्टरनेशनल स्कूल, रामपुर, सहसपुर, देहरादून (मान्यता कोड 13) को प्री-प्राईमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 06.05.2020 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 07.05.2020 से आगामी पांच वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जाता है और पांच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,
(आशासना पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ० सं० शिविर(बे०) / 15—क / / नवीनीकरण / 2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (बे०), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबोशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर०टी०ई० नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

प्रबन्धक
द अल्टस इन्टरनेशनल

रामपुर, देहरादून

